

क्रमांक :- अ.वि.प्रा./संस्था/प.1/2021-22/4700-03

दिनांक :- 30.7.21

-:: विज्ञप्ति ::-

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में रिक्त पदों के विरुद्ध राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसरण में सेवानिवृत्त कार्मिक एक वर्ष अथवा रिक्त पद भरने तक, जो भी पहले हो, के लिए समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार लिये जाने है :-

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पद
1.	सहायक अभियन्ता	02
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	08
3.	कनिष्ठ लेखाकार	02
4.	सहायक नगर नियोजक	02
5.	पटवारी/आमीन	06
6.	सर्वेयर	02
7.	कनिष्ठ सहायक	10

नियम एवं शर्तें प्राधिकरण, अजमेर की मेल आई.डी. est.adaajmer@gmail.com एवं SPPP पर देखी जा सकती हैं।



(किशोर कुमार)

सचिव,

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

क्रमांक :- अ.वि.प्रा./संस्था/प.1/2021-22 / 4700-03 दिनांक :- 30.7.2021

—:: विज्ञप्ति ::—

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में रिक्त पदों के विरुद्ध राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसरण में सेवानिवृत्त कार्मिक एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने से, जो भी पहले हो तक के लिए समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार लिये जाने हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पद
1.	सहायक अभियन्ता	02
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	08
3.	कनिष्ठ लेखाकार	02
4.	सहायक नगर नियोजक	02
5.	पटवारी/आमीन	06
6.	सर्वेयर	02
7.	कनिष्ठ सहायक	10

पारिश्रमिक :- सेवानिवृत्त कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुरूप पारिश्रमिक देय होगा।

आवेदन :- इच्छुक आवेदक अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की मेल आई.डी. est.adaajmer@gmail.com एवं SPPP पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि :- निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय दस्तावेज प्राधिकरण, अजमेर की मेल आई.डी. est.adaajmer@gmail.com पर दिनांक 10.08.2021 को सायं 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

शर्तें:-

1. उक्त सेवायें पूर्णतया अस्थाई हैं, जिन्हें 1 वर्ष या रिक्त पद भरने की स्थिति में समाप्त किया जा सकता है।
2. 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते हैं।
3. कार्मिक जिस केडर में सेवानिवृत्त हुए हैं उस केडर में ही रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति के पात्र होंगे।
4. अनिवार्य सेवानिवृत्त या अयोग्य हटाये गये कर्मचारी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
5. सेवानिवृत्त कार्मिक शारीरिक/चिकित्सीय रूप से उपयुक्त होने पर ही नियुक्ति के पात्र होंगे।
6. उक्त पदों में वृद्धि एवं कमी की जा सकती है, इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
7. उक्त सेवायें कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अधीन होंगी।



(किशोर कुमार)

सचिव,

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

राज्य सरकार के सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के आवेदन प्रारूप

1. सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. अर्हताएं :-
5. मूल विभाग का नाम :-
6. सेवा निवृत्ति के पूर्व धारित पद :-
7. अनुभव :-
8. सेवा निवृत्ति के समय मूल वेतन :-
(रनिंग पे-बैंड ग्रेड पे/
पे मेट्रिक्स लेवल)
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :-
10. धारित पद का वेतनमान :-
(सेवा निवृत्ति के समय)
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :-
(संलग्न करें)

सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र एफ17(10)डीओपी/ए-11/94 जयपुर दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्बंधनो और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवा निवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनो और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :-

दिनांक :-

सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर